



थाना किरतपुर पुलिस द्वारा जिला बदर अभि० नीटू पुत्र महावीर गिरफ्तार ---

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के



अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के कुशल पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 28.06.2021 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जिला बदर अभियुक्त नीटू पुत्र महावीर सिंह निवासी मौ० मलकान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त दिनांक 11.02.2021 से श्रीमान एडीएम (प्रशासन) बिजनौर द्वारा जिला बदर घोषित किया गया था। इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु०अ०सं० 190/21 धारा 3/10 गुण्डागर्दी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

नीटू पुत्र महावीर सिंह निवासी मौ० मलकान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम---

उ०नि० चन्द्रवीर सिंह

का० पुष्पेन्द्र चाहल

का० आस मोहम्मद

का० संजीव निगम

का० अंकित कुमार

थाना हीमपुर दीपा:- थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा 1- आबिद पुत्र मुस्तकीम 2- साजिद पुत्र मुस्तकीम निवासी गण ग्राम धीमरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना शेरकोट:- थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1- सुनील कुमार पुत्र रामनाथ 2- रूपचंद पुत्र शिवराज निवासी मोहल्ला कुराड़ा कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1- माजिद अली पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मोहल्ला हकीमपुरा कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जिला बिजनौर को मु0अ0सं0 283/21 धारा 354/354ख/323 IPC व 7/8 पोक्सो अधिनियम (2) मुनव्वर पुत्र अकरम निवासी मोहल्ला चौधरियान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को संबंधित मु0अ0सं0 335/21 धारा 376DA आईपीसी 5/6 पोक्सो अधिनियम (3) संजय कुमार उर्फ सनी कश्यप पुत्र चुड़ियल कश्यप निवासी ग्राम बूढ़ेरन थाना स्योहारा जिला बिजनौर को संबंधित मु0अ0सं0 334/21 धारा 363/376 आईपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना मंडावर:- थाना मंडावर पुलिस द्वारा अभियुक्त इमरान पुत्र भोले उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम ईनामपुरा थाना मंडावर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

